यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय सचिव, अन्य पिछडा वर्ग आयोग, उत्तराखण्ड, देहरादून द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय सचिव, अन्य पिछडा वर्ग आयोग, उत्तराखण्ड, देहरादून के माह 02/2004 से 07/2017 के लेखा-अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री अरिन्दम चटर्जी, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री अशोक कुमार, वरिष्ठ लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 04.08.2014 से 09.08.2017 तक श्री राजबहादुर, लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1). परिचयात्मकः इस इकाई की प्रथम लेखापरीक्षा सम्पन्न की गयी है। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 02/2004 से 07/2017 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2). (i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः इकाई द्वारा राज्य की जाति/समुदाय को पिछडा वर्ग की सूची में लाने अथवा निकालने का कार्य व राज्य के अन्य पिछडें वर्ग के नागरिकों के उत्पीडन शिकायती पत्रों का निस्तारण किया जाता है।

(अ) विगत तीन वर्षो में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(धनराशि रू. लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना			गैर स्थापना		
	स्थापना	गैर स्थापना	आवंटन	व्यय	बचत/आधिक्य	आवंटन	व्यय	बचत/आधिक्य
2014-15	Nil	Nil	32.96	32.24	0.72	30.20	27.92	2.28
2015-16	Nil	Nil	39.50	36.42	3.08	36.26	34.83	1.43
2016-17	Nil	Nil	45.67	38.37	7.30	32.50	29.48	3.02
2017-18 (Upto 06/2017)	Nil	Nil	22.02	10.94	-	11.66	3.88	-

(स) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

(रू. लाख में)

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष	प्राप्त	व्यय अधिक्य (+)	बचत (-)
-----------------------शून्य-----------------------					

(ii) इकाई को बजट आवंटन निदेशक समाज कल्याण द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई 'सी' श्रेणी की है।

विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः-

1. सचिव समाज कल्याण → 2. निदेशक समाज कल्याण → 3. सचिव, अन्य पिछडा वर्ग आयोग

(iii) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में कार्यालय सचिव, अन्य पिछडा वर्ग आयोग, उत्तराखण्ड, देहरादून को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय सचिव, अन्य पिछडा वर्ग आयोग, उत्तराखण्ड, देहरादून की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 10/2007, 08/2008, 12/2011, 03/2013, 09/2015 एवं 06/2016 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया शिकायती प्रकरणों का निस्तारण कार्यालय सचिव, अन्य पिछडा वर्ग आयोग, उत्तराखण्ड, देहरादून का विस्तृत विश्लेषण किया गया। प्रतिचयन लागत एवं राशि तथा कार्य की वास्तविक स्थिति को ध्यान में रखकर चयन किया गया।

(iv) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग-दो(ब)

प्रस्तर-1- विगत 1 से 10 वर्ष व्यतीत होने के बावजूद धनराशि रू. 3,04,229/- की निष्प्रयोज्य सामग्री की नीलामी न किया जाना।

उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रक्योरमेंट) नियमावली, 2015 के बिंदु संख्या 75 के अनुसार विभाग के स्टोर/स्टोक रजिस्टर में उल्लेखित सामग्रियों की उपलब्धता और पुरानी/निष्प्रयोज्य सामग्री के निस्तारण हेतु कार्यालयाध्यक्ष सक्षम प्राधिकारी द्वारा वर्ष में कम से कम एक बार रजिस्टर में उल्लेखित सामग्रियों का भौतिक सत्यापन करना चाहिए, जिससे कार्यालय में पड़ी निष्प्रयोज्य सामग्री के निस्तारण हेतु आवश्यक कार्यवाही की जा सके, जिससे कि भविष्य में होने वाले ह्रास (Further Deprecation) से बचा जा सके, एवं सामग्री का उचित मूल्य प्राप्त हो सके।

कार्यालय अन्य पिछडा वर्ग आयोग उत्तराखण्ड, देहरादून के स्टोर/स्टोक पंजिका के लेखा अभिलेखों की लेखापरीक्षा के दौरान पाया गया कि कार्यालय में धनराशि रू. 3,04,299/- की सामग्री (सूची संलग्नक) विगत 1 से 10 वर्ष से निष्प्रयोज्य पड़ी है, एवं विगत वर्षो से लेखापरीक्षा तिथि तक नीलामी हेतु कोई कार्यवाही नहीं की गई है, जिससे कि निष्प्रयोज्य पड़ी सामग्री के ह्रास मूल्य में कमी होने से इंकार नहीं किया जा सकता, जो कि विभागीय उदासीनता को दर्शाता है।

विभाग द्वारा इस ओर पूछे जाने पर बताया गया कि शीघ्र ही समिति का गठन कर नीलामी प्रक्रिया की जायेगी।

अतः धनराशि रू. 3,04,229 की निष्प्रयोज्य पड़ी सामग्री को विगत 1 से 10 वर्ष व्यतीत हो जाने के बाद भी नीलामी न करने का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण:-

प्रतिवेदन संख्या	वर्ष	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या	STAN
इकाई का प्रथम लेखापरीक्षा सम्पन्न की गयी				

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः-

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
-------------------शून्य--------------				

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

.... शून्य ....

भाग-V

आभार

1). कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून, लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु कार्यालय सचिव, अन्य पिछडा वर्ग आयोग, उत्तराखण्ड, देहरादून तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः-

अप्रस्तुत अभिलेखः शून्य

2). सतत् अनियमितताएः शून्य

3). लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया :

क्र.सं.	नाम	पदनाम	अवधि
1.	श्री आर.पी. पन्त	सचिव	27.05.2003 से 22.11.2004
2.	श्रीमती बन्दना सिंह	सचिव	23.11.2004 से 27.07.2005
3.	श्री आर.एस. यादव	सचिव	30.07.2005 से 30.04.2006
4.	श्री बी.एल.आर्य	सचिव	01.05.2006 से 17.07.2010
5.	श्रीमती बन्दना सिंह	सचिव	06.08.2010 से 25.12.2013
6.	श्री एस.सी. देवरानी	सचिव	26.12.2013 से 31.12.2016
7.	श्री अनुराग शंखधर	सचिव	01.07.2017 से 21.04.2017
8.	श्री एन.के. शर्मा	सचिव	22.04.2017 से अब तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति कार्यालय सचिव, अन्य पिछडा वर्ग आयोग, उत्तराखण्ड, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कर दी गयी, जिसकी प्राप्ति के एक माह के अन्दर अनुपालन आख्या सीधे उप-महालेखाकार/ सामाजिक क्षेत्र, कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखंड, सी- 1/105, वैभव पैलेश, इंदिरा नगर, देहरादून, 248006 को प्रेषित कर दी जाय।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी
(सामाजिक क्षेत्र)